

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक : 20/10/2015—

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं—

क्रं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	116 / 09	श्री छुट्टन लाल निर्वण कानेच लिपिक निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	4-डी-20, गांधीनगर (बहुमंजिला)	31.12.2023
2	121 / 09	श्री गोविन्द सिंह वाइन चालक 3 राज. नवल युनिट, एन.सी.सी., गांधीनगर, जयपुर	4-बी-2, गांधीनगर (बहुमंजिला)	30.6.2026
3	128 / 2009	श्री अब्दुल कुदुश सहायक कार्यालय अधीक्षक ना आरिक सुरक्षा, जयपुर	4 / 102, गांधीनगर	31.1.2018
4	150 / 2010	श्रीमती नीतू रायाना सहायक लोक अभियोजक—ा अभियोजन विभाग, जयपुर	4 / 115, गांधीनगर	30.9.2036
5	151 / 2010	श्रीमती निशा चौधरी नर्स ग्रेड—ा सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4 / 28, गांधीनगर	31.3.2041
6	154 / 2010	श्री हनुमान सिंह कानेच लिपिक अर्ति. मु० न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेल्वे), जयपुर	4 / 47, गांधीनगर	30.6.2023
7	155 / 2010	श्री सीता राम गुर्जर वरिष्ठ लिपिक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर—ा, जयपुर	4 / 55, गांधीनगर	30.6.2021
8	156 / 2010	श्री रामजी लाल मीणा नर्स ग्रेड—ा जे.के.लोन अस्पताल, जयपुर	4 / 68, गांधीनगर	30.9.2040
9	157 / 2010	श्री रामावतार कुण्डारा नर्स ग्रेड—ा जे.के.लोन अस्पताल, जयपुर	4 / 70, गांधीनगर	31.8.2040
10	159 / 2010	श्री शंकर लाल मीणा नर्स ग्रेड—ा राज० दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	4 / 79, गांधीनगर	31.8.2041
11	160 / 2010	श्री विनोद कुमार वर्मा नर्स ग्रेड—ा राजकीय दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	4 / 105, गांधीनगर	31.7.2033
12	161 / 2010	श्री मुकेश कुमार नर्स ग्रेड—ा राजकीय दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर	4 / 123, गांधीनगर	31.8.2038
13	162 / 2010	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा लेब टेकनिशियन सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4 / 128, गांधीनगर	30.9.2022
14	163 / 2010	श्री मोहन लाल चौधरी लेब टेकनिशियन डिप्लोमा इन फार्मेशी कोर्स, सवाई मान सिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर	4 / 82, गांधीनगर	31.7.2032

15	164 / 2010	श्रीमती सरिता नर्स ग्रेड जनाना अस्पताल, जयपुर	4 / 99, गांधीनगर	31.7.2044
16	165 / 2010	श्री जोरावर सिंह कनिष्ठ लिपिक उप वन संरक्षक जयपुर (मध्य) मिनी सचिवालय, जयपुर	4 / 100, गांधीनगर	31.8.2028
17	166 / 2010	श्री मोहन सिंह कनिष्ठ लिपिक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवार्ये, जयपुर	4 / 140, गांधीनगर	31.3.2021
18	177 / 2010	श्री राकेश कुमार रातावाल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4—ए—11, गांधीनगर बहुमंजिला	29.2.2044
19	136 / 2011	सुश्री प्रियंका वर्मा वरिष्ठ लिपिक वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 76, गांधीनगर (4 / 111, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.8.2045
20	139 / 2011	श्री दीपक कुमार दरिया सहायक अनुभागाधिकारी प्रशासनिक सुधार (अनु—1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 177, गांधीनगर (पराना नम्बर एफ—९९०, गांधीनगर)	30.11.2036
21	148 / 2011	श्री विनोद कुमार गोठवाल सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (क—४/ वाद) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 94, गांधीनगर	31.1.2030
22	157 / 2011	श्री दया शंकर लखेरा वरिष्ठ लिपिक वित्त (आबकारी) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 81, गांधीनगर	30.6.2037
23	159 / 2011	श्री. हरीश कुमार तिवारी वरिष्ठ लिपिक उद्योग(पी.पी.सी.) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 110, गांधीनगर	31.12.2022

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्वान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन रथान पर निजी आवास बन जाने/कर्य करने की रिथति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन रचीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा रूची में अपनी मूल रिथति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
  8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

9. क्रम संख्या 1, 2 एवं 18 पर अंकित आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रूपये 150/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, अभियोजन विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-गा, जयपुर।
10. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेल्वे), जयपुर।
11. कमाण्डेंट, 3 राज नवल यूनिट, एन.सी.सी., मुख्यालय, जयपुर।
12. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
13. अधीक्षक, जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर।
14. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय दंत चिकित्सालय, जयपुर।
18. उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, जयपुर।
19. उप वन संरक्षक, जयपुर (मध्य), मिनी सचिवालय, जयपुर।
20. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की बेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
21. अधिशाषी अभियन्ता, साठनियोविं-खण्ड-तृतीय, जयपुर/जन स्वास्थ्य अभियोविं, गांधीनगर, जयपुर/विंयोविंनिगम लिंग, गॉधीनगर, जयपुर।
22. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चरस्पा करावें।
23. सम्बन्धित कर्मचारीगण। क्रम संख्या 19 पर अंकित आवंटियों को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
24. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राप्रवि।
25. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक : 20/10/2015-

—: आदेश :—

सुश्री दिव्या शर्मा, सूचना सहायक, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 304/2014 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2051 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या एफ-702, गौंधीनगर (स्वतंत्र) का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/वच्चों के नाम से पदंस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहें हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
  8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या 400/एम/जीएडी/15 दिनांक 11.8.2015 के क्रम में।
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविं/जन स्वास्थ्य विभिन्न विभिन्न निगम लिंग, गौंधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें।
10. संबंधित कर्मचारी।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र / 2/15

जयपुर, दिनांक : २०/१०/१५

—: आदेश :-

श्री प्रेमसिंह, मेल नर्स-गा, जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ-श्रेणी की वरियता संख्या 351 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2038 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 20(1)साप्र / 2/2015 दिनांक 9.10.2015 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या एफ-122, गांधीनगर के स्थान पर एफ-498, गांधीनगर, जयपुर (स्वतंत्र) का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-  
शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, सर्वाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. अधीक्षक, जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लॉकबोर्ड पर चर्पा करावें।
10. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव